प्रेस नोट
दिनांक 05.09.2020
थाना खुर्जानगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जाहिदपुर कलां निवासी पूरन सिंह की हत्या का खुलासा, 02 हत्यारोपी आलाकत्ल सब्बल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 20/21.08.2020 की रात्रि में थाना खुर्जानगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जाहिदपुर कलां में एक व्यक्ति पूरन सिंह (उम्र-65 वर्ष) की गजेन्द्र चौहान के घेर में सोते समय सिर में चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गयी थी। उक्त घटना के संबंध में दिनांक 23.08.2020 को मृतक पूरन सिंह की पुत्री श्रीमती सुमन देवी पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम तहारपुर थाना टप्पल जनपद अलीगढ, हाल पता-ग्राम हमीरपुर थाना शिकारपुर बुलन्दशहर द्वारा तहरीर में अपने ताऊ के लडके राजू पुत्र दीपा उर्फ दीपचन्द्र निवासी ग्राम जाहिदपुर कलां थाना खुर्जानगर को नामजद करते हुए थाना खुर्जानगर पर मु0अ0सं0-832/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर श्री मिथलेश कुमार उपाध्याय को निर्देशित किया गया था। प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जानगर श्री मिथलेश कुमार उपाध्याय द्वारा गहनता से की गई विवेचना/कार्यवाही में उपरोक्त अभियोग मे नामित अभियुक्त राजू की नामजदगी गलत पायी गयी तथा उपरोक्त हत्या में ग्राम जाहिदपुर कला निवासी हरवीर व प्रेमपाल के नाम प्रकाश में आये।

आज दिनांक 05.09.20 को प्रभारी निरीक्षक खुर्जानगर मय पुलिस फोर्स द्वारा मुखबिर की सूचना पर रामगढ़ी गेट खुर्जा-जेवर रोड से हत्या में संलिप्त दोनो अभियुक्त हरवीर व प्रेमपाल को समय करीब प्रातः 09:30 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त सब्बल को भी अभियुक्त प्रेमपाल के मक्का के खेत से बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम-पता-

1- हरवीर पुत्र मुख्तार सिंह निवासी ग्राम जाहिदपुर कलां थाना खुर्जानगर जनपद बुलन्दशहर।

2- प्रेमपाल पुत्र मुख्तार सिंह निवासी उपरोक्त।

बरामदगी-

1- हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल सब्बल

उपरोक्त घटना की विवेचना/कार्यवाही एवं पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त हरवीर एवं प्रेमपाल दोनों सगे भाई हैं तथा मृतक पूरन सिंह गांव जाहिदपुर कला में गजेन्द्र चौहान के घेर पर चौकीदारी करता था। अभियुक्त हरवीर एवं मृतक पूरन सिंह का मकान आस-पास हैं। मृतक पूरन सिंह अकेला रहता था तथा उसके मकान पर आवारा किस्म के लड़कों का आना जाना था। हरवीर का मकान पूरनसिंह के मकान के पास होने के कारण हरवीर द्वारा कई बार लडकों का पूरन सिंह के मकान पर आने का विरोध किया जाता था, किन्तु पूरन सिंह इन आरोपो को गलत बताता था। इसी कारण अभियुक्त हरवीर व उसका भाई प्रेमपाल पूरन सिंह से रंजिश मानने लगे थे तथा उसकी हत्या करने की ठान ली थी। इन बातों के चलते परेशान होकर हरवीर करीब 02 वर्ष पूर्व अपनी जमीन व मकान बेचकर अपने परिवार सहित अलीगढ़ में किराए के मकान में रह रहा था तथा बीच-बीच में अपने गांव में आता-जाता रहता था। दिनांक 20.08.20 की शाम को हरवीर अपने भाई प्रेमपाल के घर आया था तथा दिनांक 20/21.08.2020 की रात्रि में दोनों भाई हरवीर व प्रेमपाल द्वारा पूरन सिंह की गजेन्द्र सिंह के घेर में सोते समय सिर में सब्बल से चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी तथा सब्बल को अपने मक्का के खेत में छिपा दिया था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1- श्री मिथलेश कुमार उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक खुर्जा नगर

2- उ0नि0 शत्रुघ्न यादव प्रभारी रिपोर्टिंग चौकी खुर्जा जंक्शन

3- उ0नि0 रवि कुमार, का0 सुनील कुमार, का0 भूरि सिंह, का0 प्रवेश कुमार।